

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 321 / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23,

दिनांक:- 08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 85/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० ए०क्यू० अन्सारी	रा०हो०चि०, सभावाला, देहरादून	रा०हो०चि०, द्वारगढ़, टिहरी गढ़वाल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 321 / नि०हो० / स्थानान्तरण-628 / 2022-23, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 322 / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23,

दिनांक: 08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 85 / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301 / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० डिम्पल रावत	रा०हो०चि०, जिला चिकित्सालय, टिहरी गढ़वाल	रा०हो०चि०, कटुड़, टिहरी गढ़वाल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 322 / नि०हो० / स्थानान्तरण-628 / 2022-23, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 323 / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23,

दिनांक:- 08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-85/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० ज्योति गुप्ता	रा०हो०चि० कालसी, देहरादून	रा०हो०चि०, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 323 / नि०हो० / स्थानान्तरण-628 / 2022-23, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 324 / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23,

दिनांक:- 08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 85/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० रक्षा रानी	रा०हो०चि०, लण्डौरा, हरिद्वार	रा०हो०चि०, हिण्डोलाखाल, टिहरी गढ़वाल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 324 / नि०हो० / स्थानान्तरण-628 / 2022-23, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/टिहरी गढ़वाल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
7. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 325 / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23,

दिनांक:- 08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 85 / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301 / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० कैलाश चन्द्र ततराड़ी	रा०हो०चि०, लोहाघाट, चम्पावत	रा०हो०चि०, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 325 / नि०हो० / स्थानान्तरण-628 / 2022-23, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चम्पावत / ऊधमसिंह नगर।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चम्पावत / ऊधमसिंह नगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत / ऊधमसिंह नगर।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चम्पावत।
7. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 326 / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23,

दिनांक:- 08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 85/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० हरपाल सिंह	रा०हो०चि०, सिरकोट, बागेश्वर	रा०हो०चि०, पटवाडांगर, नैनीताल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 326 / नि०हो० / स्थानान्तरण-628 / 2022-23, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
7. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 327 / नि0हो0 / स्था0-628 / 2022-23,

दिनांक:-08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 85 / नि0हो0 / स्था0-628 / 2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301 / नि0हो0 / स्था0-628 / 2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा0 दुर्गा प्रसाद रतूड़ी	रा0हो0चि0, हिरनाखेडी, हरिद्वार	रा0हो0चि0, व्यासघाट, पौड़ी गढ़वाल	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा0 जे0 एल0 फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 327 / नि0हो0 / स्थानान्तरण-628 / 2022-23, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी गढ़वाल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी गढ़वाल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी गढ़वाल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
7. गार्ड फाईल।

(डा0 जे0 एल0 फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 328 /नि०हो०/स्था०-628/2022-23,

दिनांक:-08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 85/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० सतीश सिंह पिंगल	रा०हो०चि०, श्यामपुर, हरिद्वार	रा०हो०चि०, फनार, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	निजी अनुरोध

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 328 /नि०हो०/स्थानान्तरण-628/2022-23, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार/देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
7. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 349 / नि0हो0 / स्था0-628 / 2022-23,

दिनांक:- 08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 85/नि0हो0/स्था0-628/2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301/नि0हो0/स्था0-628/2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा0 खडक सिंह आकोटी	रा0हो0चि0 मुनस्यारी, पिथौरागढ़	रा0हो0चि0 नेहरूग्राम, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा0 जे0 एल0 फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 349 / नि0हो0 / स्थानान्तरण-628 / 2022-23, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/देहरादून।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
7. गार्ड फाईल।

(डा0 जे0 एल0 फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 330 / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23,

दिनांक:- 08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 85/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० इन्दु यादव	रा०हो०चि० खीड़ा जनपद अल्मोड़ा	रा०हो०चि० कालसी देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 330 / नि०हो० / स्थानान्तरण-628 / 2022-23, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/देहरादून।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: **331** / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23,

दिनांक:- **08** जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 85/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० धीरज सेठ	रा०हो०चि० निजमुला, चमोली	रा०हो०चि० मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: **331** / नि०हो० / स्थानान्तरण-628 / 2022-23, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, चमोली/नैनीताल।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चमोली/नैनीताल को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/नैनीताल।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, चमोली।
7. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 332/नि0हो0/स्था0-628/2022-23,

दिनांक:-08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 85/नि0हो0/स्था0-628/2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301/नि0हो0/स्था0-628/2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा0 भूपेन्द्र प्रसाद	रा0हो0चि0 लीलम, पिथौरागढ़	रा0हो0चि0 जिला चिकित्सालय, चम्पावत	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा0 जे0 एल0 फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 332/नि0हो0/स्थानान्तरण-628/2022-23, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
7. गार्ड फाईल।

(डा0 जे0 एल0 फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: **333** / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23,

दिनांक:- **08** जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 85/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० उर्मिला कुमारी बिष्ट	रा०हो०चि० रानीखेत, अल्मोड़ा	रा०हो०चि० लोहाघाट, चम्पावत।	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: **333** / नि०हो० / स्थानान्तरण-628 / 2022-23, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा/चम्पावत।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा/चम्पावत को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/चम्पावत।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा।
7. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 334 / नि०हो० / स्था०-628 / 2022-23,

दिनांक: 08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 85/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301/नि०हो०/स्था०-628/2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र० सं०	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा० भगत सिंह	रा०हो०चि० नागराजाधार, टिहरी गढ़वाल	रा०हो०चि० लण्डौरा, हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 334 / नि०हो० / स्थानान्तरण-628 / 2022-23, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/हरिद्वार।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. गार्ड फाईल।

(डा० जे० एल० फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।

**निदेशालय,
होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक: 335/नि0हो0/स्था0-628/2022-23,

दिनांक:- 08 जुलाई, 2022

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या:-12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2017 एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2022 एवं निदेशालय ज्ञाप संख्या 85/नि0हो0/स्था0-628/2022-23, दिनांक 02 मई, 2022 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-301/नि0हो0/स्था0-628/2022-23, दिनांक 02 जुलाई, 2022 द्वारा गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर, निम्न तालिका में उल्लिखित चिकित्साधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-4 नवीन तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती स्थान	स्थानान्तरण किये जाने की सम्भावित तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	डा0 रुषमा	रा0हो0चि0 कटुड़ टिहरी गढ़वाल	रा0हो0चि0 सभावाला, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पात्रता पूर्ण करने पर	जनहित

उक्त स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अपने नवीन तैनाती स्थल पर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित चिकित्साधिकारी का माह जुलाई, 2022 का वेतन नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डा0 जे0 एल0 फिरमाल)
प्रभारी निदेशक,

संख्या: 335/नि0हो0/स्थानान्तरण-628/2022-23, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून।
4. जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/देहरादून।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. गार्ड फाईल।

(डा0 जे0 एल0 फिरमाल)
प्रभारी निदेशक।